No. 13

निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 05/2008 (RCMS 2008/0007) अनवानी नगर परिषद, श्रीगंगानगर जरिए आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर बनाम 1. विजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति खुंगर (अरोड़ा) आयु लगभग 68 वर्ष निवासी गली नम्बर 13, इन्द्रा कॉलोनी, रविदासनगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.07.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा है। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी नगर परिषद् श्रीगंगानगर जरिए आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी विजय कुमार द्वारा एक मकान क्षेत्रफल 24' गुणा 65', वाके वार्ड संख्या 39, रविदासनगर, श्रीगंगानगर आवंटन अधिकार पत्र क्रमांक/नियमन/आवंटन/1999/812 दिनांक 26.02.2002 आवंटन करवाया गया को निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73(2) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 06.05.2008 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी। **जिसमें उसने** एक मकान क्षेत्रफल 24′ गुणा 55′, वाके वार्ड संख्या 39, रविदासनगर, श्रीगंगानगर आवंटन अधिकार पत्र क्रमांक / नियमन / आवंटन / 1999 / 812 दिनांक 26.02.2002 से विजय कुमार को आवंटन **किया गया है, को निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त **अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त** को दे दी **गई है।** इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी / न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर बनाम विजय कुमार को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु** उक्त निगरानी लौटाई **जाती है।** इस आशय का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को इस न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति** भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर